0477 008571

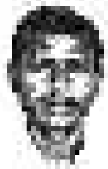

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य	: रु0 7,30,622/-
बाजारू मूल्य	: रु0 4,36,250/-
स्टाम्प शुल्क	: रु0 73,100/-
परगाना	: बिजनौर

यह विक्रय विलेख राम मिलन पुत्र श्री भगवान दीन व शिवराम पुत्र राम औतार निवासी–ग्राम मुजफ्फर नगर धुसवल, परगाना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ जिन्हे आगे

उप निबन्धक

04DD 006572

विक्रेतागण कहा गया है, एवम् राम जी कोरी पुत्र राम अवध कोरी निवासी–ग्राम दीवानगंज, पोस्ट–शीतलागंज, तहसील पट्टी, जिला– प्रतापगढ़, जिसे आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा 121, 123, व 262 कुल रकबा 0.757 हेक्टेअर के 1/2 भाग अर्थात 0.3785 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित वार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 151 के अनुसार

[illegible]

पुष्ठ पृष्ठांकित [illegible]

सुपुर्द कर्ता [illegible]

[illegible]

23-10-04

प्रमाणित किया जाता है कि [illegible]

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

[illegible]

उप निबंधक [illegible]

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0283 959835

भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs.5000

सत्यमेव जयते

भारत

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

186510

24 OCT

A.T.O/T.O
TRY.LKO

- 4 -

अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है।
विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व,
हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय
अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति
के फलस्वरूप रु० 7,10,622/- (सात लाख दस हजार छः सौ
बाईस रुपया) के प्रतिफल में जिसको कि उपरोक्त क्रेता द्वारा
विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित
विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को
विक्रेतागण सही स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. R$ 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कराई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के

100Rs

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

26 OCT 2004

A.T.O.T.O.

-6-

रूप में धारण एवं उपभोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल,

अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगें, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम मुजफ्फर नगर घुसमल, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रु० 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.3785 हेक्टेयर की मालियत रु० 4,16,350/- होती है। तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारु मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 71,100/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा 121, 123, व 262 कुल रकबा 0.757 हेक्टेअर के 1/2 भाग अर्थात 0.3785 हेक्टेअर, स्थित ग्राम मुजफ्फर नगर घुसवल, परगना –बिजनौर, तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा न० 121 रकबा 0.200 हेक्टेअर

पूरब	: खसरा संख्या–122
पश्चिम	: खसरा संख्या–119, 117
उत्तर	: खसरा संख्या–127 व 138
दक्षिण	: खसरा संख्या–120

खसरा न० 123 रकबा 0.126 हेक्टेअर

पूरब	: खसरा संख्या–138
पश्चिम	: खसरा संख्या–121
उत्तर	: खसरा संख्या–137
दक्षिण	: खसरा संख्या–124

खसरा न० 262 रकबा 0.431 हेक्टेअर

पूरब	: खसरा संख्या–278
पश्चिम	: रास्ता
उत्तर	: खसरा संख्या–263
दक्षिण	: खसरा संख्या–261

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य विक्रेतागण को रु0 7,10,622/- (सात लाख दस हजार छः सौ बाईस रुपया) क्रेता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते है।

लखनऊ
दिनांक: 29.10.2004

गवाह

1.

2.

विक्रेतागण

क्रेता

टाइपकर्ता
(राम सनेही)

मसविदाकर्ता
(कैप्टन रमन सिंह)
एडवोकेट

গ্রাম [illegible]

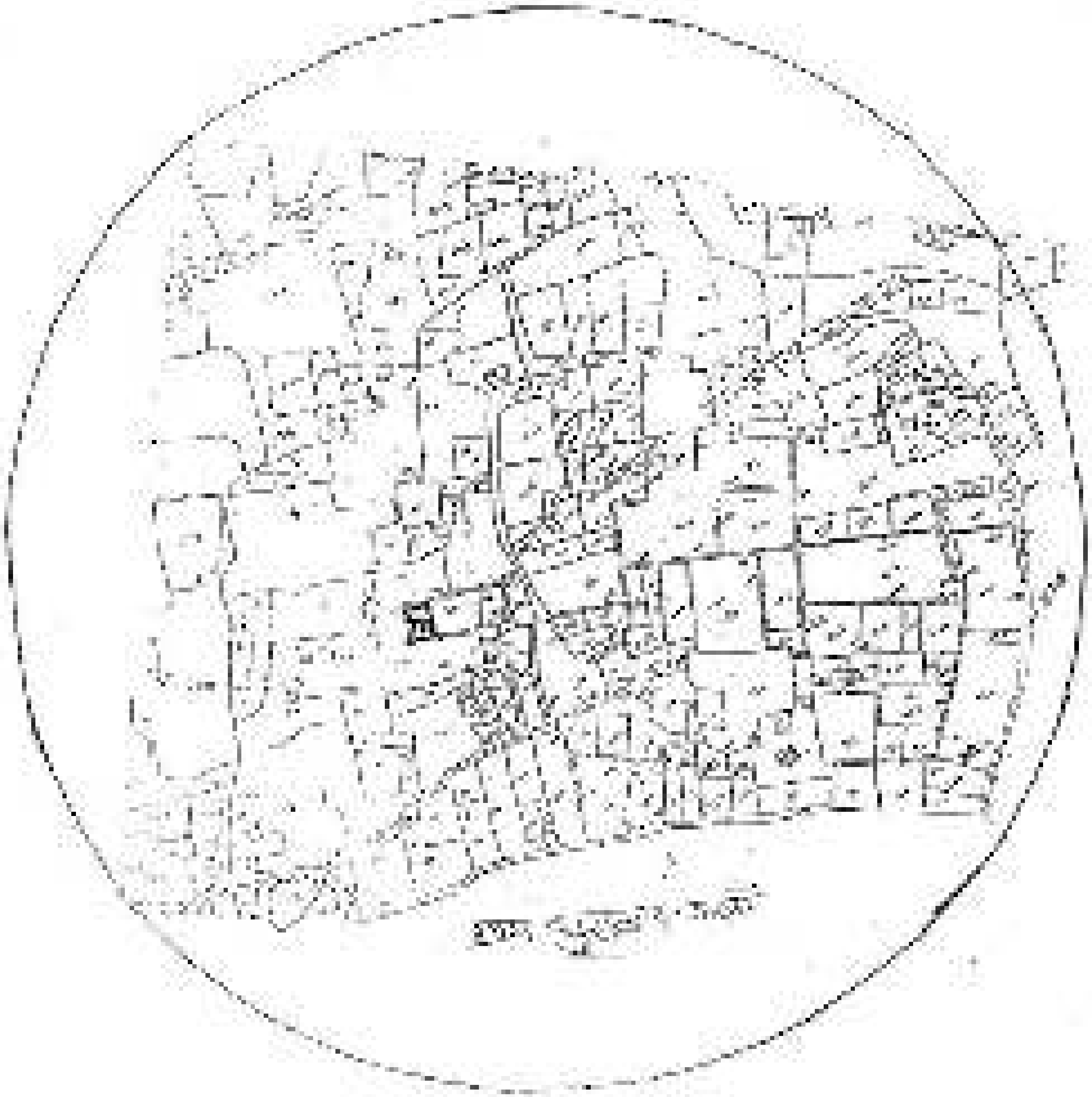

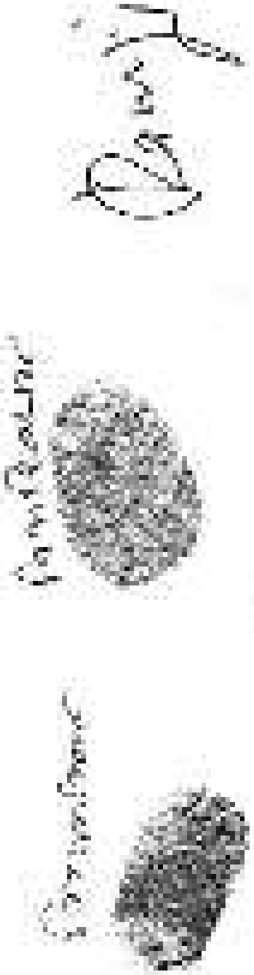

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

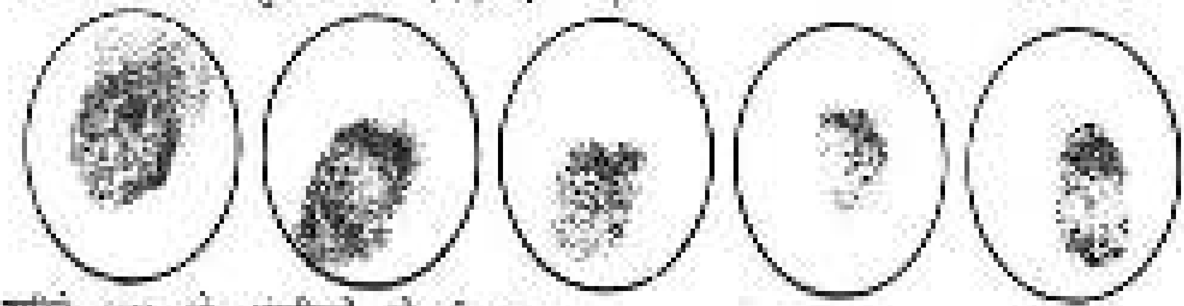

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

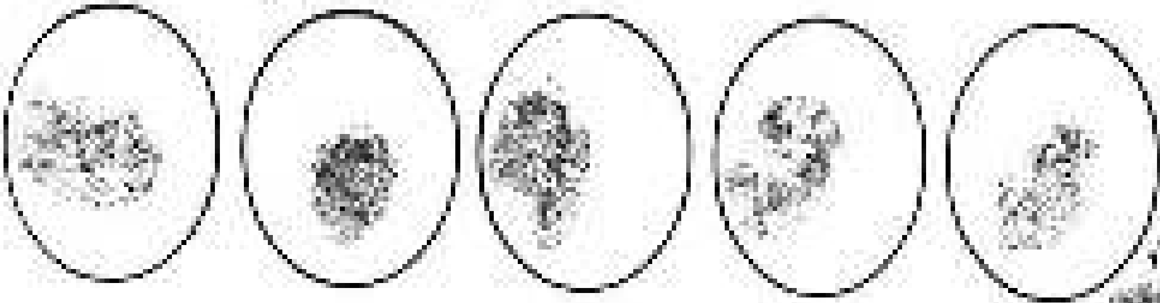

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह

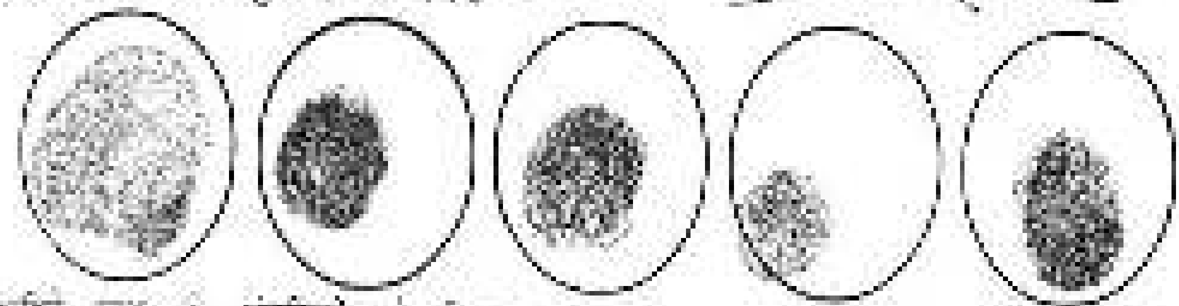

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

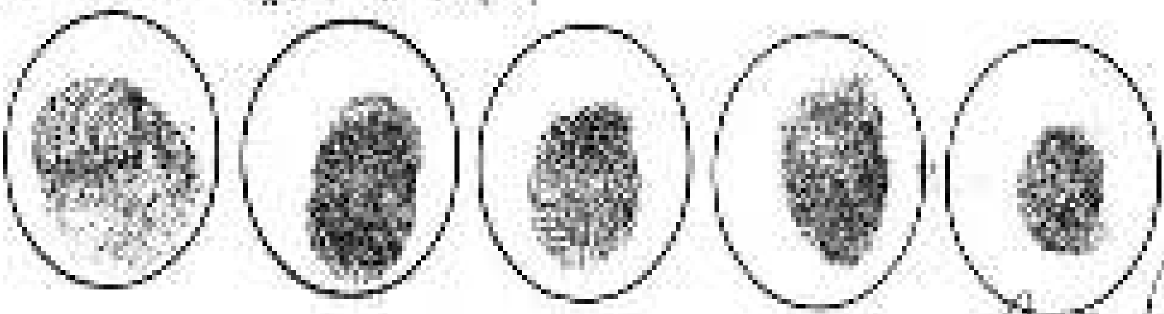

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

● रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए. के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

(क्रेता)

क्रेता/विक्रेता का नाम व पता : श्याम जी [illegible]
एवं श्री [illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

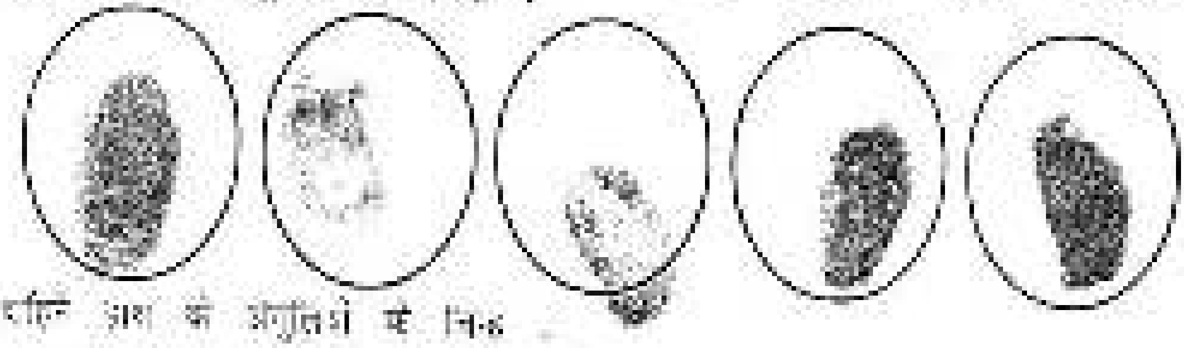

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

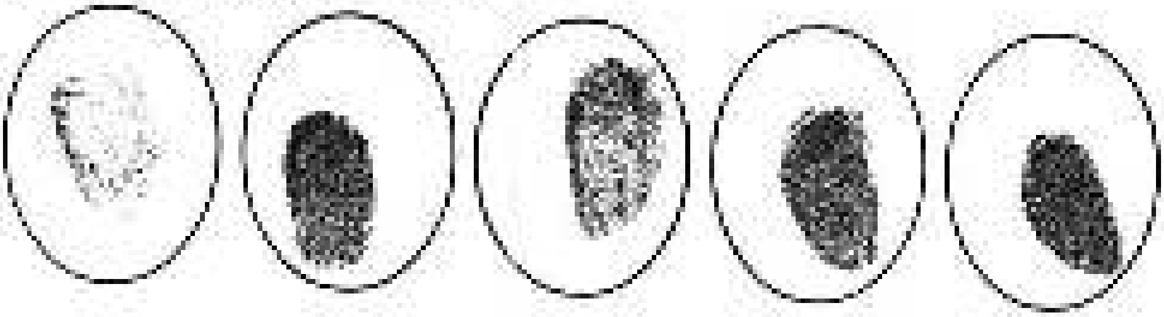

क्रेता/विक्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

क्रेता/विक्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

कार्यालय उप निबन्धक

लखनऊ